न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग–3583–II–16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

छोटेलाल गर्ग पिता तिलकधारीराम

निवासी ग्राम कबरा, तहसील–सिरमौर

जिला–रीवा म.प्र.

विरूद्ध

देवेन्द्र प्रसाद गर्ग पिता छोटेलाल गर्ग

निवासी ग्राम खैर, तहसील–सिरमौर

जिला–रीवा म.प्र.

नायब तहसीलदार, तहसील–सिरमौर वृत वैकुन्ठपुर जिला–रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 39/ए–6/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07–10–2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

1. यह कि, तहसील न्यायालय की कार्यवाहीं एवं आदेश अवैध, अनुचित एवं मनमाने होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, प्रकरण में विवादित भूमि पुश्तैनी भूमि है। अनावेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष नामांतरण हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर तहसील न्यायालय द्वारा जिस प्रकार से कार्यवाहीं की जा रहीं है वह विधि के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है.

3. यह कि, तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसे अस्वीकार किया जाने पर आवेदक द्वारा माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष तक कार्यवाहीं की गयी जिस पर राजस्व मण्डल द्वारा आवेदक के साक्ष्य लेने के निर्देश दिये गये। राजस्व मण्डल से निर्णय होने के पश्चात आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष अपनी साक्ष्य के प्रमाण स्वरूप लेखी साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये उन साक्ष्यों को प्रमाणित करने हेतु विशेषज्ञो से जांच कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया.

4. यह कि, तहसील न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन पत्र पर कोई निर्णय न लेते हुये तथा उन दस्तावेजो को अभिलेख पर न लेते हुये मनमाने ढंग से कार्यवाहीं की जा रहीं है जिससे आवेदक को अपने अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा है आवेदक लगातार तहसील न्यायालय में उपस्थित होता रहा है किन्तु न्यायालय में येन केन प्रकारण आवेदक की साक्ष्य नहीं ली

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3583–दो/2016 जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–01–2017	आवेदक अभिभाषक श्री एस0के0 वाजपेयी एवं अनावेदक अभिभाषक श्री के0के0 द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सत्यापित प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि इस न्यायालय के प्रकरण कमांक 2910–दो/2015 में पारित आदेश दिनांक 15–10–2015 के द्वारा आवेदक को साक्ष्य का अवसर देने के उपरांत निराकरण करने के आदेश दिये गये थे जिसके पालन में तहसीलदार द्वारा आवेदक को साक्ष्य के कई अवसर प्रदान किये। तहसीलदार ने आवेदक को दिनांक 11–8–2016, 02–9–16, 14–9–16, 23–9–16, 29–9–16, 06–10–16 एवं 7–10–16 को साक्ष्य प्रस्तुत करने के अवसर दिये गये परन्तु आवेदक द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत न करते हुये और अवसर चाहा। विचाराधीन आदेश दिनांक 7–10–16 को भी आवेदक द्वारा स्वास्थ्य खराब होने से साक्ष्य हेतु अवसर चाहा है, परन्तु तहसीलदार द्वारा आवेदक की ओर से अस्वस्था के संबंध में किसी चिकित्सक का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं पूर्व में कई अवसर साक्ष्य हेतु प्रस्तुत नहीं करने के कारण आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने के आदेश दिये हैं। तहसीलदार द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार की अवैधानिकता प्रकट नहीं होती है। दर्शित परिस्थितियों में यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु तह0 सिरमौर की ओर भेजा जाये। (एस. एस. अली) सदस्य	